



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)  
गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर  
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)  
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 7270

दिनांक 03.06.2022

आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 08.04.2022 के द्वारा निश्चेतन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत निश्चेतन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है:-

SENIOR PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Rajan Nanda	General	01.01.1957
2.	Dr. R.K. Aseri	S.C.	02.07.1954

ASSOCIATE PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Virendra Sharma	General	04.07.1984
2.	Dr. Om Prakash	OBC	28.08.1981
3.	Dr. Jigyasa Shahani	General	21.07.1979
4.	Dr. Akil Hussain	General	17.07.1978
5.	Dr. Priyanka Aman	General	05.12.1980
6.	Dr. Hemant Jingar	SC	11.03.1979
7.	Dr. Yogesh Kumar Jharwal	ST	02.07.1980
8.	Dr. Rajendra Verma	SC	21.03.1986





## राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)


गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

### ASSISTANT PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Deepak Choudhary	General	22.11.1985
2.	Dr. Jagdish Prasad	OBC	13.12.1983
3.	Dr. Mamta Damor	ST	29.04.1986
4.	Dr. Rekha Roat	ST	28.10.1984
5.	Dr. Mahendra Kumar	General	14.06.1979
6.	Dr. Alka Lunia	General	15.02.1987
7.	Dr. Pallavi Sharma	General	30.04.1988
8.	Dr. Megha Arora	General	10.03.1985
9.	Dr. Nirmala Kumari	OBC	05.07.1991

  
निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 7270

दिनांक 03.06.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।



अति. निदेशक (प्रशा.)

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर